



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 476]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

गृह मंत्रालय

(विदेशी विषयक प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 586(अ).—केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना) संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 की, अनुसूची के पैरा 8 में, “साठ दिन” शब्दों के स्थान पर “एक सौ बीस दिन” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 26011/2/2003-आईसी-I]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 937(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 803(अ), तारीख 09 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 207(अ), तारीख 23 मार्च, 2010 तथा संख्या सा.का.नि. 722(अ), तारीख 30 जुलाई, 2018 द्वारा उनमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(FOREIGNERS DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2019

G.S.R. 586(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, in the Schedule, in paragraph 8, for the words “sixty days”, the words “One hundred and twenty days” shall be substituted.

[F. No. 26011/2/2003-IC-I]

ANIL MALIK, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* notification number G.S.R. 937(E), dated the 10th December, 2003 and was subsequently amended *vide* G.S.R. 803(E), dated the 9th November, 2009, G.S.R. 207(E), dated the 23rd March 2010 and number G.S.R. 722(E), dated the 30th July 2018.